बाल यौन हिंसा : केस प्रबंधन

Child Sexual Abuse : Case Management

रिसोर्स इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स (आर.आई.एच.आर.)

मार्गदर्शन :

संजय निराला
बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, राजस्थान
अंकुश सिंह
संचार विशेषज्ञ, यूनिसेफ, राजस्थान

परिकल्पना एवं निर्देशन :

गोविन्द बेनीवाल
पूर्व सदस्य, राज. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

संपादन :

मनीष सिंह
राज्य संयोजक, राज. बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान
विजय गोयल
महासचिव, आर.आई.एच.आर.

लेखन :

सुश्री पल्लवी शर्मा (परामर्श मनोवैज्ञानिक)

प्रकाशन :

आर.आई.एच.आर.

सहयोग :

यूनिसेफ, राजस्थान

आवरण एवं बुक डिजाईन :

उमाशंकर शर्मा
व्यू पॉईन्ट ग्राफिक्स, जयपुर

मुद्रण :

कल्पना ऑफसेट प्रिन्टर्स, जयपुर
7665999933

नोट : यह मार्गदर्शिका केस प्रबंधन विषय पर समझ बनाने के लिए बनाई गई है। इस मार्गदर्शिका में दी गई जानकारीका उपयोग कानूनी दस्तावेज के रूप में ना करें।

प्रस्तावना

Preface

बाल यौन हिंसा एक जघन्य अपराध है और इस तरह के अपराध में पीड़ित बच्चों को सहायता देना अति–आवश्यक है। महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रकार के प्रकरणों में सहायता कैसे उपलब्ध करवाई जाये। बच्चे एवं परिवार को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता स्पष्ट रूप से सुनियोजित होनी चाहिए।

आर.आई.एच.आर. लम्बे समय से विषम परिस्थितियों में मौजूद बच्चों की सुरक्षा के मुद्दों पर काम कर रहा है। संस्था द्वारा विगत समय में यह पाया है कि राजकीय व गैर राजकीय स्तर पर पीड़ित बच्चों के साथ काम तो किया जा रहा है तथा उन्हें सहायता भी दी जा रही है लेकिन इस पर बेहतर समझ के साथ कार्य को करने पर कोई दस्तावेज़ नहीं है।

आर.आई.एच.आर. द्वारा पुलिस आयुक्तालय, जयपुर तथा यूनिसेफ, राजस्थान के सहयोग से महिला थाना, जयपुर (पूर्व) में संचालित वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेन्ट सेन्टर फॉर चिल्ड्रन ''स्नेंह आंगन'' में विगत 8 वर्षों के दौरान यौन हिंसा से पीड़ित बच्चों के लिए केस प्रबन्धन कार्य के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह मार्गदर्शिका तैयार की गई है।

आशा है कि यह मार्गदर्शिका बच्चों के साथ कार्य करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों, बाल गृहों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता, केस वर्कर, परामर्शदाता, सहायक व्यक्ति इत्यादि के लिए उपयोगी साबित होगी।

अनुक्रमणिका

1. केस प्रबंधन क्या है? 3

(What is Case Management?)

2. केस प्रबंधन की आवश्यकता 4

(Need of Case Management?)

3. केस प्रबंधन के मूल सिद्धान्त 5

(Core Principles of Case Management?)

4. बाल लैगिंक हिंसा : विधिक परिदृश्य 7

(Child Sexual Abuse : Legal Context?)

5. केस वर्कर कौन है? 9

(Who is a Case Worker?)

6. केस वर्कर की सहायक व्यक्ति के रूप में भूमिका 11

(Role of Case Worker as Support Person)

7. केस प्रबंधन कैसे किया जाए? 13

(How to do Case Management?)

8. केस वर्कर के लिए ध्यान रखने योग्य बातें 17

(Points to be noted by Case Worker?)

9. बाल मैत्री सूचक 18

(Child Friendly Indicators)

10. बाल यौन हिंसा से पीड़ित बच्चों के अधिकार 20

(Rights of Child Victims in Child Sexual Abuse)

✍ कविता : वापस लाना होगा

केस प्रबंधन क्या है?

What is Case Management?

जब भी कोई अपराध घटित होता है तो पीड़ित व्यक्ति या परिवार न्याय की अपेक्षा रखते हैं।

ऐसे में उनको सामाजिक एवं कानूनी सहायता व मानसिक संबल की जरूरत होती है। जब किसी बच्चे के साथ यौन हिंसा जैसी पीड़ा दायक अपराध घट जाए तो उसको न्याय दिलाने की कार्यवाही में कानून व बाल सुरक्षा संबंधी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीड़ित बच्चे के केस को चरणबद्धता से प्रबंधित किया जाना आवश्यक होता है।

''केस प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत रूप से पीड़ित बच्चे व परिवार को केस के दौरान उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता उपलब्ध कराई जाती है।''

केस प्रबंधन में ध्यान रखने योग्य बात है कि पीड़ित बच्चे व परिवार को सहायता उचित, क्रमबद्ध व समय अनुसार प्राप्त हो।

केस प्रबंधन की आवश्यकता

Need of Case Management?

आपराधिक न्याय प्रणाली में बाल यौन हिंसा से पीड़ित बच्चों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। पीड़ित बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने तथा उसकी जरूरतों को पूर्ण करते हुए यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि वह सुरक्षित है। पीड़ित बच्चे एवं उसके परिवार को सहायता सही समय पर नहीं दी जाती या अपराध घटित होने के बहुत समय के बाद दी जाती है तो केस एवं पीड़ित बच्चे के पुनर्वास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि पीड़ित बच्चे को संस्था द्वारा सही समय पर सहायता प्रदान की जाए। सहायता लघु, मध्यम व दीर्घ में से कितने भी समय के लिए केस की आवश्यकतानुसार अपेक्षित हो सकती है तथा यह एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है जो केस पूर्ण होने तक चलती है।

आमतौर पर पीड़ित बच्चों व परिवारों को केस प्रबंधन गतिविधियों की जानकारी नहीं होती है ऐसी स्थिति में केस प्रबन्धन के बारे परिवार को सजग किया जाना तथा केस प्रबन्धन के दौरान दी जाने वाली सहायता व सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताया जाना आवश्यक होता है।

केस प्रबंधन से पीड़ित बच्चे व परिवार में आत्मविश्वास सुरक्षा एवं न्याय पाने की जागरूकता बढ़ती है तथा संबल मिलता है जो उन्हें समस्या का सामना करने एवं केस में प्रभावी भूमिका निभाने में मजबूती प्रदान करता है। प्रभावी केस प्रबंधन से पीड़ित बच्चे को न्याय मिलने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं तथा पीड़ित बच्चे का सामाजिक पुनर्समेकन सुगमता से हो पाता है।

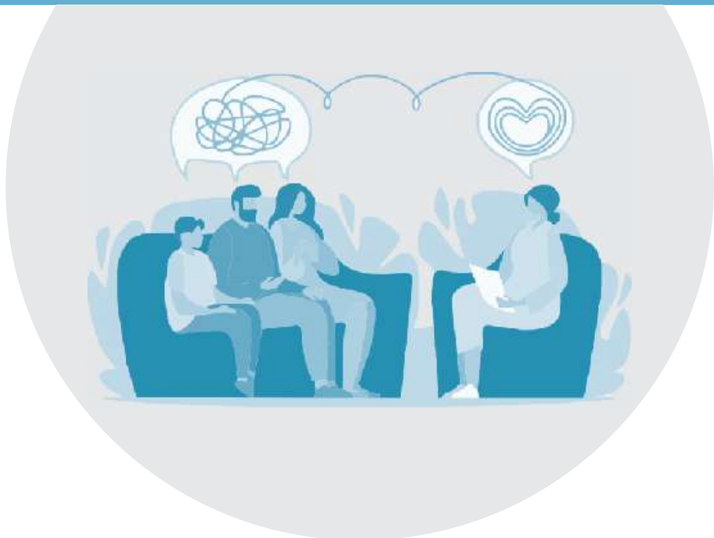

केस प्रबंधन के मूल सिद्धान्त
(Core Principles of Case Management)

केस प्रबंधन के कुछ मूल सैद्धान्तिक तरीके हैं जो कि उसकी मुख्य विशेषताओं के रूप में जाने जाते हैं। केस वर्कर को इन मूल सिद्धान्तों से भली–भांति परिचित होना आवश्यक है।

केस प्रबंधन की विशेषताएँ

1. बच्चे को क्षति नहीं पहुंचाना
2. बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देना
3. बच्चे के साथ भेद–भाव नहीं करना
4. आचार संहिता का पालन करना
5. निजता एवं गोपनीयता का सम्मान करना
6. सूचित सहमति/अनुमति प्राप्त करना
7. समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करना
8. जवाबदेही सुनिश्चित करना

1. बच्चे को क्षति नहीं पहुँचाना

केस प्रबंधन में जो भी कार्य व हस्तक्षेप केस वर्कर द्वारा किये जाते हैं उसमें यह विशेषता होनी चाहिए कि किसी भी कार्य, वार्तालाप व निर्णय से बच्चे को क्षति नहीं पहुँचे। केस प्रबंधन करते समय हर चरण में इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

2. बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देना

बच्चे के शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक पक्षों को ध्यान में रखते हुए उसके सर्वोत्तम हित पर कार्य किया जाना आवश्यक है। बच्चे के परिवार व अभिभावकों से भी इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए तथा उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए।

3. बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना

केस प्रबंधन में केस वर्कर द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाये। बच्चा किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग, दिव्यांगता से आता हो उसे व उसके परिवार के साथ सम्मानजनक, संरक्षित व संवेदना सहित व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी भी तरह का पूर्वाग्रह या नकारात्मक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

4. आचार संहिता का पालन करना

केस वर्कर द्वारा बच्चे व परिवार के साथ आचार संहिता का पालन करते हुए केस प्रबंधन किया जाना चाहिए। जिसमें पोक्सो व अन्य बाल संरक्षण कानून एवं नियमों की पालना शामिल है।

5. निजता एवं गोपनीयता का सम्मान करना

केस की गंभीरता के कारण बच्चे व परिवार से सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी ही प्राप्त की जाये तथा बच्चे की निजता और गोपनीयता संरक्षित रखी जानी चाहिए। गोपनीय जानकारी केस प्रबंधन के दौरान सिर्फ चिकित्सक व कानूनी सहायता में ही आवश्यकतानुसार दी जानी चाहिए।

6. सूचित सहमति अनुमति प्राप्त करना

केस प्रबन्धन में बच्चे की आयु व समझ को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित केस में आवश्यकतानुसार बच्चे के परिवार की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

7. समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना

केस प्रबन्धन के प्रभावी निष्पादन में समयबद्धता से की गई कार्यवाही सकारात्मक परिणाम ला सकती है। ऐसे में केस वर्कर को कानून एवं नियमों में वर्णित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित कार्यवाही करनी चाहिए।

8. जवाबदेही सुनिश्चित करना

जवाबदेही का अर्थ है कि होने वाले कार्य व परिणामों के लिए जिम्मेदारी निभाना। केस वर्कर केस प्रबंधन में हो रही कार्यवाही में पीड़ित बच्चे व परिवार की सहायता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में केस में की जा रही कार्यवाही एवं प्रगति से बच्चे व परिवार तथा सम्बन्धित हित धारकों को नियमित अन्तराल पर अवगत कराना चाहिए।

बाल लैंगिक हिंसा : विधिक परिदृश्य

(Child Sexual Abuse : Legal Context)

बाल लैंगिक हिंसा एक गंभीर प्रकृति का जघन्य अपराध है जिसमें बच्चे के जीवन पर एक बहुत गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पीड़ित बच्चे के लिये सामाजिक परिदृश्य में हालात और भी मुश्किल होते हैं। बाल यौन हिंसा की रोकथाम के लिए ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो कानून)'' को प्रभावी रूप से लागू किया जाना बेहद जरूरी है।

बाल यौन हिंसा की रोकथाम में विभिन्न हितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रमुख हितधारकों की भूमिका का वर्णन निम्न प्रकार से है–

- **माता पिता**

  माता–पिता अपने बच्चों को शरीर के सभी अंगो के नाम सही रूप में सिखाएँ। उचित व अनुचित स्पर्श में अन्तर बच्चों को बताना आवश्यक है। बच्चों को यह पता हो कि कौन–कौन से अंग गुप्त अंग के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें वहाँ कोई नहीं छू सकता।

  माता–पिता व बच्चों में एक दूसरे के प्रति परस्पर विश्वास होना आवश्यक है तभी बच्चे अपने जीवन में होने वाली सभी अच्छी व बुरी बातें अपने माता पिता के साथ साझा कर सकते हैं। जब बच्चा माता पिता को यौन हिंसा के बारे में बताए तो वह हिम्मत रखते हुए कानूनी व बाल संरक्षण संस्थाओं की सहायता जरूर प्राप्त करें।

- **पुलिस**

  पोक्सो कानून में पीड़ित केस में प्रारम्भिक अनुसंधान करने के लिए पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है तथा कानून में पुलिस की विशिष्ठ भूमिकाओं का निर्धारण किया गया है। पोक्सो कानून में पीड़ित बच्चे एवं परिवार को उनकी हकदारियों से अवगत कराने का प्रारम्भिक दायित्व पुलिस को सौपा गया है।

- **चिकित्सक**

  चिकित्सक यौन हिंसा से पीड़ित बच्चे की चिकित्सीय जाँच करने के लिए जिम्मेदार है। चिकित्सक बच्चे की सहमति लेने के बाद ही चिकित्सीय परीक्षण करे और यदि बच्चा बहुत छोटा है (सहमति देने योग्य नहीं है) तो उसके माता–पिता या अभिभावक की सहमति से जाँच की जानी चाहिए।

- **बाल कल्याण समिति**

  बाल कल्याण समिति के सामने जब भी यौन हिंसा से पीड़ित बच्चे का केस आता है तो समिति की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि बच्चे की देखभाल एवं सुरक्षा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत उचित कार्यवाही करें। पोक्सो कानून में बाल कल्याण समिति बच्चे की सहायता के लिए सहायक व्यक्ति नियुक्त करने करने के लिए जिम्मेदार है।

- **सहायक व्यक्ति**

  बाल संरक्षण के लिए कार्यरत स्वंयसेवी संस्था अथवा केस वर्कर से बच्चे व परिवार को सहायता प्राप्त होती है। केस वर्कर से पीड़ित बच्चे एवं उसके परिवार को आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराना अपेक्षित होता हैं। पोक्सो कानून में केस वर्कर सहायक व्यक्ति के रूप में पीड़ित बच्चे व उसके परिवार को प्री–ट्रायल एवं ट्रायल के दौरान विभिन्न प्रकार की सहायक सेवाएं उपलब्ध करा सकते है।

केस वर्कर कौन है?

Who is a Case Worker?

किसी भी केस का प्रबंधन करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति केस वर्कर कहलाता है। सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक, बाल देखरेख संस्थान का कार्मिक या बाल कल्याण समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति केस वर्कर बन सकता है। केस वर्कर बनने के लिए बाल संरक्षण की जानकारी व केस प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है।

केस वर्कर की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे को केस की पहचान से लेकर केस बंद होने तक उचित सेवाएं सीधे अथवा रेफरल के माध्यम से उपलब्ध हो सके।

बाल यौन हिंसा के केस की संवेदनशीलता एवं इनमें विभिन्न हितधारको की भूमिका को ध्यान में रखते हुए केस प्रबंधन सुनियोजित ढंग से किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे केसों में केस वर्कर के प्रमुख दायित्व निम्न प्रकार हो सकते है–

1. किसी बच्चे को मित्र बनाकर उसकी सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए उससे संवाद करना।
2. बच्चे के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से तुरंत बच्चों की प्रारम्भिक वस्तुस्थिति का आंकलन करना।
3. बच्चे के केस में पोक्सो कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज होना सुनिश्चित करना।
4. बच्चे व परिवार को पोक्सो कानून में उपलब्ध हकदारियों एवं बाल संरक्षण सेवाओं के बारे में अवगत कराना।
5. बच्चे के केस की स्थिति अनुरूप उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
6. बच्चे के केस में बच्चे की अभिरक्षा के निर्धारण के सम्बन्ध में बाल कल्याण समिति को सहयोग उपलब्ध कराना।

7. बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चे के केस में सामाजिक अन्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना।
8. बच्चे के केस में बाल कल्याण समिति के आदेश पर सहायक व्यक्ति की भूमिका का निर्वहन करना।
9. बच्चे व परिवार को हकदारियों को प्राप्त करने में समुचित सहयोग उपलब्ध कराना।
10. बच्चे के हित में विभिन्न हितधारकों एवं सेवा प्रदाताओं से समन्वय स्थापित करना।
11. बच्चे के केस की सुव्यवस्थित व्यक्तिगत पत्रावली संधारित करना।
12. बच्चे के पुनर्वास के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान का निर्माण एवं उसकी क्रियान्विति में अपनी भूमिका का निर्वहन तथा उसकी आवधिक समीक्षा करना।
13. बच्चे की निजता को संरक्षित रखना तथा केस सम्बन्धी समस्त जानकारियाँ एवं रिकार्ड गोपनीय रखना।
14. बच्चे के केस में की जाने वाली कार्यवाहियों से बच्चे एवं उसके परिवार को अवगत कराना एवं उनकी सूचित सहमति अनुरूप से अपेक्षित कार्यवाही करना।
15. बच्चे के केस में उसकी सहभागिता सुनिश्चित करना तथा निश्चित अन्तराल पर केस में अनुवर्तन करना।
16. केस में बच्चे के कल्याण एवं सकुशलता के लिये अन्य प्रासंगिक कार्य संपादित करना।

केस वर्कर की सहायक व्यक्ति के रूप में भूमिका?

Role of Case Worker as Support Person?

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो कानून) के तहत अधिसूचित पोक्सो नियम, 2020 के अर्न्तगत पीड़ित बच्चे को केस में प्री–ट्रायल एवं ट्रायल के दौरान अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने के लिए सहायक व्यक्ति की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।

सहायक व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा केस विशेष में नियुक्त किया जाता है। सहायक व्यक्ति कोई सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठन, बाल देखरेख संस्थान के कार्मिक, परामर्शदाता अथवा केस वर्कर हो सकता है।

पीड़ित बच्चे व परिवार की मदद करने की प्रक्रिया में केस वर्कर हर परिस्थिति में उनको सहायता देने के लिए उपलब्ध रहता है। ऐसे में सहायक व्यक्ति के रूप में केस वर्कर की विशिष्ट भूमिका निम्नानुसार हो सकती है–

1. सहायक व्यक्ति द्वारा केस के शुरूआत से अन्त तक बच्चे को सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना।
2. लैंगिक हिंसा से पीड़ित बच्चे के साथ बाल मित्रवृत्त व्यवहार/संवाद स्थापित करना तथा प्रत्येक स्तर पर पीड़ित बच्चे की निजता एवं गोपनीयता को संरक्षित रखना।
3. पीड़ित बच्चे व परिवार (बच्चा जिस पर विश्वास करता है सहित) को आपातकालीन एवं संकटावस्था सेवाओं की उपलब्धता से अवगत कराना।
4. पीड़ित बच्चे एवं उसके अभिभावक को अधिनियम एवं अन्य विधियों के अधीन उपलब्ध हकदारियों, सेवाओं एवं केस में विभिन्न स्तर पर होने वाली कार्यवाही, उसकी प्रगति एवं अद्यतन स्थिति से अवगत कराना।

5. पीड़ित बच्चे को विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड परिसर एवं कार्य प्रणाली से परिचित कराना।
6. विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस थाना, बाल कल्याण समिति एवं अन्य प्राधिकरणों में अनुसंधान/कार्यवाही/जाँच/विचारण/चिकित्सा परीक्षण के दौरान बच्चे के साथ मौजूद रहना।
7. पीड़ित बच्चे के लिये परामर्शदाता, दुभाषिया, विशेष शिक्षक की सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
8. पीड़ित बच्चे को आवश्यकतानुसार उसकी स्वास्थ्य, शिक्षा, भावनात्मक, वित्तीय तथा अन्य अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सेवा प्रदाताओं से समन्वय स्थापित करना।
9. यदि बच्चा किन्हीं कारणों से विशेष न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है या असहजता महसूस करता है, तो ऑडियो विज्यूअल/विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बयान/साक्ष्य दर्ज कराने हेतु विशेष न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना।
10. पीड़ित बच्चे के लिये निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर एवं विशेष राहत उपलब्ध कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।
11. पीड़ित बच्चे व परिवार को गवाह संरक्षण के तहत पर्याप्त सुरक्षा दिलवाने में सहयोग प्रदान करना।
12. विशेष लोक अभियोजक, बच्चे के अधिवक्ता तथा पुलिस से सम्पर्क कर बच्चे के केस से संबंधित वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराना तथा केस की प्रगति से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर बच्चे एवं उसके अभिभावक को उपलब्ध कराना।
13. केस में विचारण के पश्चात् पारित निर्णय की व्याख्या एवं उपलब्ध विधिक विकल्पों से बच्चे व परिवार को अवगत कराना।

केस प्रबंधन कैसे किया जाए?

(How to do Case Management?)

केस प्रबंधन करने के लिए कुछ प्रमुख चरण होते हैं जिनके माध्यम से केस वर्कर प्रभावी रूप से केस प्रबंधन की प्रक्रिया पूर्ण कर पाता है। इसमें केस वर्कर का पूरा ध्यान व्यक्तिगत रूप से बच्चे के ऊपर होता हैं व बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है।

केस प्रबंधन के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं :–

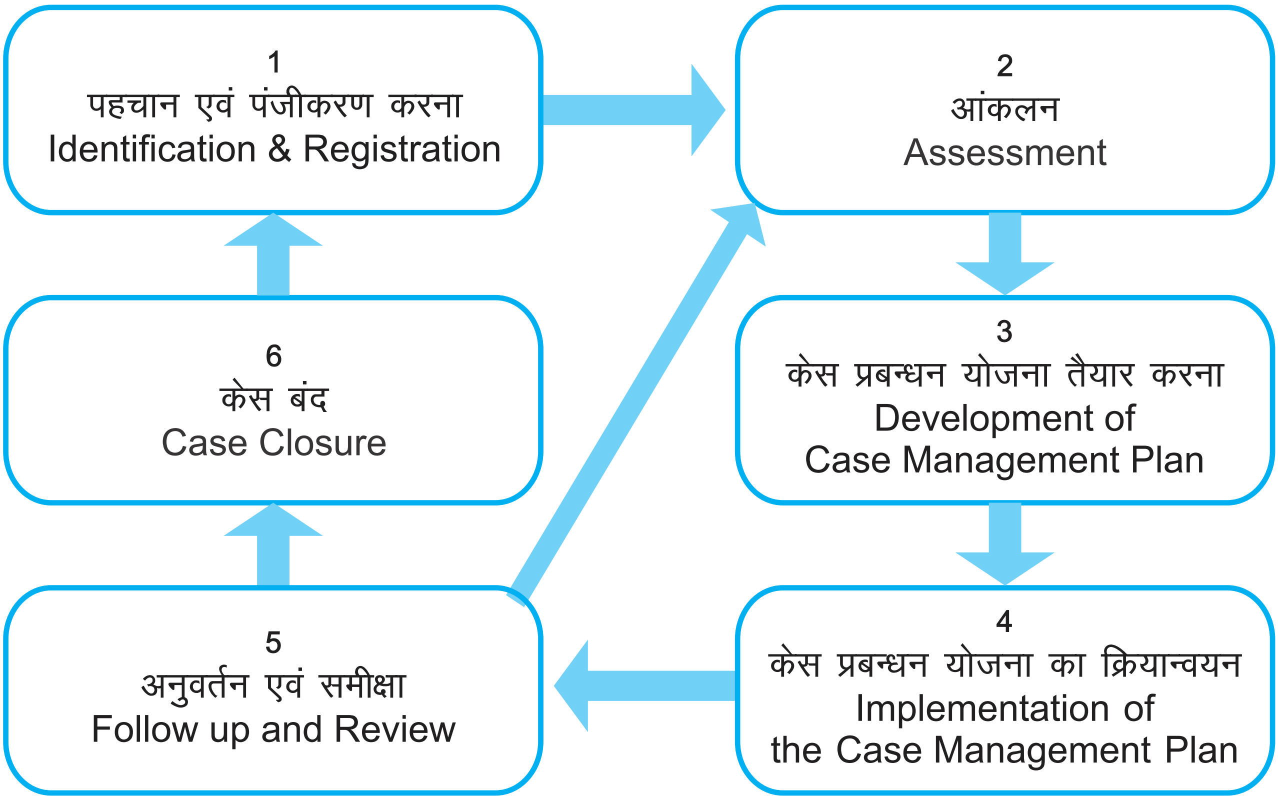

1. पहचान एवं पंजीकरण करना

(Identification & Registration)

पीड़ित बच्चे की पहचान करना एवं उनके परिवार के बारे में जानकारी जुटा कर, पंजीकरण कॉर्म में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को अंकित करना आवश्यक है।

- **प्राथमिक सामाजिक मूल्यांकन**

  जब भी कोई केस एफ.आई.आर, अथवा अन्य किसी जानकारी द्वारा प्राप्त होता है, तब सर्वप्रथम केस वर्कर बच्चे व परिवार से ''सामाजिक मूल्यांकन फॉर्म'' में मूल जानकारी भरनी चाहिए जिससे कि बच्चे की पृष्ठभूमि का पता चल सके, जो कि केस के लिए बहुत आवश्यक है। यह फॉर्म केस वर्कर द्वारा लिखित रूप में भरा जाता है। इसके साथ ही बच्चे व परिवार को उपलब्ध सेवाओं के बारे में बताया जाता है जिससे कि वह जागरूक हो सके।

- **औपचारिक केस दर्ज करना**

  केस वर्कर औपचारिक रूप से केस दर्ज करता है जिसमें उसके द्वारा केस को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया जाता है और उसकी अलग फाइल बनाई जानी चाहिए। केस फाईल में केस से जुड़े अपेक्षित दस्तावेज, काउंसलिंग रिपोर्ट, व्यक्तिगत पहचान कार्ड इत्यादि शामिल होने चाहिए।

- **तत्काल सहायता देना**

  केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बच्चे व परिवार को अविलम्ब सहायता दी जानी चाहिए। चिकित्सीय जाँच, आश्रय, पुलिस प्राथमिकी एवं बयान, बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे का प्रस्तुतिकरण आदि सभी केस सम्बन्धी जरूरी काम केस वर्कर की सहायता व सूझ–बूझ से पूर्ण होते हैं।

2. आंकलन

(Assessment)

केस का आंकलन बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें घटना को गहनता से समझने के साथ–साथ बच्चे से बात करते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :–

- बच्चे की शारीरिक व भावनात्मक स्थिति।
- अगर बच्चे की तत्काल सहायता की आवश्यकता चिकित्सा/मानसिक परामर्श, आश्रय, सुरक्षा आदि।
- बच्चे के नजरिये से घटना को सुनना व समझना।
- बच्चे के साथ में उसके माता–पिता/अभिभावक के मध्य के रिश्तों को समझना
- बच्चे को परिस्थिति समझाकर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना।

3. केस प्रबंधन की योजना तैयार करना

(Development of the case Management Plan)

केस की स्थिति के अनुसार केस प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए। केस प्रबंधन योजना को बच्चे के हित के लिए समय–समय पर बदलाव की जरूरत भी पड़ सकती है, इस कारण से योजना कभी भी अन्तिम रूप से नहीं बनाई जाये। योजना में बदलाव की संभावनाएँ रखना जरूरी होता है।

योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य केस के दौरान बच्चे की सुरक्षा, बच्चे के परिवार को सम्बल प्रदान करना और बच्चे के कल्याण को बढ़ावा देना है।

योजना निर्माण के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हो सकते है :–

1. वर्तमान व अपेक्षित खतरों की पहचान करना जो बच्चे को संकट मे डाल सकते हैं, साथ ही अपराधी की भी स्थिति का पता लगाना।
2. प्री–ट्रायल व ट्रायल की अवधि के समय बच्चे को संभावित संकट से सुरक्षित रखने हेतु पहचान करना।
3. बच्चे और उसके माता–पिता/अभिभावक को परामर्श उपलब्ध कराना।
4. बच्चे के पुर्नवास की आवश्यकता की पहचान और अपेक्षित हस्तक्षेप इत्यादि।

4. केस प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन

(Implementation of the Case Management Plan)

योजना के क्रियान्वयन में बच्चे व परिवार की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है। बच्चे व परिवार की सजगता व सहमति योजना के क्रियान्वयन के कार्य को गति प्रदान करती है। यहाँ परार्मशदाता से परामर्श प्राप्त करने की प्रक्रिया भी अच्छा सहयोग देती है।

बच्चे व परिवार के साथ से परामर्शदाता सत्र आयोजित करना लाभकारी हो सकता है जिसमें बच्चे व परिवारजनों के साथ अलग–अलग बैठ कर बात की जाती है और बाद में आवश्यकता अनुसार दोनों को एक साथ बिठाकर भी परामर्श किया जाता है। इससे बच्चे की मनःस्थिति का पता चलता है तथा आगे के कार्य व सत्र आयोजित करने में आसानी होती है।

5. अनुर्वतन (फॉलोअप) एवं समीक्षा

(Follow up and Review)

केस की निश्चित अतंराल पर समीक्षा कर केस की प्रगति देखी जानी चाहिए ताकि आगे क्या आवश्यकता है और क्या सहायता बच्चे व परिवार को अपेक्षित है, का आंकलन किया जा सके।

केस की योजना का क्रियान्वयन सही तरह से होने पर बाद में अनुवर्तन यानी फॉलोअप की प्रक्रिया की जानी चाहिए। बच्चे व परिवार से अनुवर्तन के तहत वर्तमान स्थिति का पता लगाया जाता है तथा और कितना समय फॉलोअप पर लेने की आवश्यकता का भी आकलन किया जाता है।

6. केस बंद

(Case closure)

केस की वर्तमान स्थिति जिसमें केस बंद हो जाने अथवा पीड़ित बच्चे व परिवार द्वारा सहायता अपेक्षित नहीं होने अथवा केस में निश्चित अतंराल में अनुर्वतन हो जाने पर केस प्रबन्धक फाइल को बंद कर किया जा सकता है परन्तु भविष्य में किसी प्रकार की सहायता पर पुनः केस खोला जा सकता है।

केस वर्कर के लिए ध्यान रखने योग्य बातें

(Points to be noted by Case Worker)

1. जब केस वर्कर बच्चे व परिवार से मिलें तो सबसे पहले अपना परिचय दें, स्वंय के कार्यों के बारे में बताएँ, संपर्क विवरण दें, बच्चे व परिवार के सवालों के जवाब दे।
2. केस वर्कर का बच्चे व परिवार के साथ व्यवहार सौहार्दपूर्ण होना चाहिए जिससे वह विश्वास कर सके। बच्चे व परिवार से उनकी कुशलता के बारे में पूछें तथा उनको इस बात से अवगत कराएँ कि पोक्सो कानून किस प्रकार उनकी मदद कर सकता है।
3. केस के दौरान चलने वाली प्रक्रियाओं व सम्भावित समय सीमा सहित कानून की मूल बातों से परिवार को परिचित व जागरूक करें।
4. जब कभी माता–पिता/अभिभावक को बच्चे के लिए चिकित्सीय या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श लेने की आवश्यकता हो तो केस वर्कर उनको प्रोत्साहित करें व सहायता प्रदान करे।
5. पीड़ित बच्चे व परिवार को चिकित्सीय हस्तक्षेप, कानूनी प्रतिनिधित्व और पोक्सो कानून के अंतर्गत पीड़ित प्रतिकर के बारे में जागरुक करें।
6. केस वर्कर किसी प्रकार की अवास्तविक अपेक्षाएं व वादें बच्चे व परिवार के सामने प्रस्तुत ना करें जैसे कि आरोपी को कभी जमानत नहीं मिलेगी, आरोपी को निश्चित रूप से कठोर दंड मिलेगा आदि।
7. केस प्रबंधन के दौरान केस वर्कर को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निर्वहित करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए।

बाल मैत्री सूचक

Child Friendly Indicators

1. रूख (**Attitude**)

- बच्चों की परिस्थितियों एवं उनकी सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में कोई पूर्वधारणा/पूर्वागृह नहीं रखना।
- बच्चों की परिस्थितियों के लिए केवल उन्हें एवं उनके परिवार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना।
- बच्चों की परिस्थितियों में सुधार समाज एवं सरकार की प्राथमिक एवं साझी जिम्मेदारी हैं।
- बच्चों का शोषण, हिंसा एवं उत्पीड़न अस्वीकार्य हैं।

2. व्यवहार एवं आचरण (**Behaviour and Conduct**)

- बच्चों के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म, क्षेत्रियता, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना।
- बच्चों को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव–भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे एवं आवाज के संदर्भ में बाल अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना।
- बच्चों में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा करना।
- बच्चों की परिस्थिति एवं मनोव्यथा को समझने का प्रयास करना।
- बच्चों पर बातचीत करने के लिए दबाव नहीं बनाना।
- बच्चों से बातचीत करते समय कलंकित/अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना।
- बच्चों को शारीरिक स्पर्श नहीं करना।
- बच्चों से संवाद के समय मोबाईल/फोन पर बात नहीं करना।

- बच्चों के अभिभावकों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना तथा परिस्थितियों के अनुरूप कारणों का उल्लेख करते हुए उन्हें बच्चों से अलग रहने हेतु अनुरोध करना।

3. पद्धति एवं प्रक्रिया (**Practice and Process**)

- प्रत्येक स्तर पर बच्चों की गरिमा एवं आत्मसम्मान को सुनिश्चित करना।
- बच्चों के निजता एवं गोपनीयता के अधिकार को सुनिश्चित करना।
- बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, उनकी बातों का अवरोध नहीं करना, पूछे गये प्रश्नों की पुनरावृति नहीं करना और उनकी बातों पर विचार करना।
- बच्चों को अपनी बात अपने शब्दों में बताने के लिए प्रोत्साहित करना।
- बच्चों के परिजनों को बच्चे की सामाजिक एवं मानसिक प्रगति से अवगत कराना।
- बच्चों की उम्र के आधार पर उनकी बातों की उपेक्षा नहीं करना।
- बच्चों को प्रश्न का जबाव देने के लिए बाध्य नहीं करना।
- बच्चे के केस से संबंधित दस्तावेजों पर बच्चे के हस्ताक्षर कराने से पूर्व बच्चे को दस्तावेजों में उल्लेखित विवरण एवं उसके प्रभाव के बारे में जानकारी देना तथा उक्त तथ्य के बारे में बच्चे की असहमति होने पर उसे लिखे जाने वाले विकल्प के बारे में बताना।

4. वातावरण (**Environment**)

- बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन से जुड़े खिलौने उपलब्ध होना।
- बच्चों के परामर्श के लिए स्थान एकांत एवं शोर गुल से दूर होना चाहिए।

यौन हिंसा से पीड़ित बच्चे के अधिकार

Rights of Victims of Child Sexual Abuse

पोक्सो कानून के तहत बाल यौन हिंसा से पीड़ित बच्चे को सूचना और सेवाएं प्राप्त करने के लिए अधिकार निर्धारित किये गये है–

1. एफ.आई.आर. की प्रति प्राप्त करना।
2. पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करना।
3. सिविल अस्पताल/पीएचसी आदि से शीघ्र और निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण प्राप्त करना।
4. मानसिक और मनोवैज्ञानिक कुशलता के लिए परामर्श और सलाह प्राप्त करना।
5. महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बालक के घर या बालक के लिए सुविधाजनक किसी अन्य स्थान प्राप्त करना।
6. जब अपराध घर या संयुक्त परिवार में हुआ हो जहाँ बालक का किसी व्यक्ति की निगरानी से भरोसा उठ गया हो, वहाँ से बाल देखरेख संस्थान में स्थानांतरित होना।
7. बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर तत्काल सहायता और मदद पाना।
8. मुकदमे के दौरान और अन्यथा आरोपियों से दूर रखा जाना।
9. जहाँ आवश्यक हो, दुभाषिये या अनुवादक प्राप्त करना।
10. अक्षम बालक या अन्य विशिष्ट बालक के लिए विशेष शिक्षक पाना।
11. निःशुल्क विधिक सहायता पाना।
12. बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना।
13. शिक्षा जारी रखना।
14. निजता और गोपनीयता।
15. जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों की सूची पाना।

वापस लाना होगा

डरी सहमी सी आँखें
झाँक रही थी खिड़की से,
अब हर अपना व्यक्ति भी
उसे पराया लगता है,
वो क्या कहे और क्या करे?
हर शक्स में, अब उसे दरिंदा दिखता है।

बिल्कुल वैसा ही दरिंदा
जिसने कुचला उसका बचपन,
आगे बढ़ने के सपने और उम्मीदें
जैसे सब चूर हो गए उस दिन,
मुस्कुराता हर चेहरा अब उसे बेगाना लगता है.....
और हर तरफ हर कहीं झूठा ये ज़माना लगता है।

उसके मन की सफ़ेद चादर पर
ये दाग बहुत गहरें हैं,
उस विश्वास और भोलेपन पर
अब सिर्फ शक के पहरें हैं,
वो डरा, झिझका, सहमा रहता है
वो बच्चा, अक्सर रोता ही रहता है।

दुनिया का हर जतन कर उसे विश्वास दिलाना होगा,
अच्छे लोगों और संबंधों से फ़िर मिलना होगा,
फूल, तितली, चाँद, सितारे सब दिखाना होगा,
उस बच्चे का बचपन हमें वापस लाना होगा....

हमें वापस लाना होगा....।

पल्लवी शर्मा

रिसोर्स इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स, राजस्थान

932, किसान मार्ग, बरकत नगर, टोंक रोड, जयपुर

सम्पर्क–0141–3532799, 9460387130, 7878055137

E-mail : rihr.rajasthan@gmail.com | Website : http://rihrraj.org